न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदनः– 11/2016 अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट.1955

अनवानः–

प्रार्थी

1 हरिराम पुत्र जोधाराम कौम विश्नोई निवासी भडकुंआ (हरियाली) तहसील सांचोर जिला जालोर

विप्रार्थीगण

1 बाबूराम पुत्र रामचन्द्र विश्नोई निवासी भडकुंआ (हरियाली) तहसील सांचोर जिला जालोर

2 व्यवस्थापक एस.बी.बी.जे. शाखा सांचोर

3 सरकार जरिये तहसीलदार सांचोर

वकील प्रार्थीः– श्री जालाराम पुनिया।

वकील विप्रार्थीगणः– श्री मानदास वैष्णव

निर्णय दिनांक 24.12.2019

प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस प्रकार पेश किया है कि प्रार्थी गांव भड़कुआ पटवार मण्डल हरियाली तहसील साचौर का निवासी है प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1308 रकबा 1.55 हैक्टर एवं प्रार्थी की रहवासी ढाणी आई हुई है। तथा उक्त खेत खसरा नम्बर 1308/2039 रकबा 0.01 हैक्टर गैरमुमकिन बैरा आया हुआ है। जो प्रार्थी के बन्ट व कब्जा काश्त सुदा है उक्त खेत में प्रार्थी के आने जाने के लिए आवागमन का रास्ता प्रयोजनार्थ की भूमि प्रार्थी के उपयोग के लिए राजस्व रेकार्ड में नही है। उक्त रास्ता भूमि हेतु मामला पारस्परिक सहमति से तय नही हो पा रहा है। उक्त खेत में आवागमन हेतु रास्ते की प्रार्थी को अत्यंन्त आवश्यकता है। अतः रास्ते की भूमि राजस्व अभिलेंख में रास्ता अभिलिखित किया जाना न्यायंसंगत है। इस हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थी के उक्त खेत ग्राम भड़कुआ में होने से प्रार्थी के खेत में जाने हेतु सबसे नजदीकी रास्ता सरहद मौजा भड़कुआ के खसरा नम्बर 138 में से उपयुक्त रहेगा। जो नक्शा नजरी अं लाल रंग से दर्शाया है। नक्शे में वर्णीत लाल स्याही की भूमि रास्ते के उपयोग के लिए भूमि घोषित करने के लिए प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करता है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नही है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस

Scanned by CamScanner

प्रकार है। प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1308 रकबा 1.55 हैक्टर एवं 1308/2039 रकबा 10.01 हैक्टर बैरा सरहद मौजा हरियाली में आया हुआ है न की भडकुआ में प्रार्थी के सरहद मौजा हरियाली के खेत खसरा नम्बर 1308 तथा 1308/2039 में दौलतसिंह पुत्र मगसिंह के खेत खसरा नम्बर 1306 के सेढे नर्मदा नहर की वितीरिका चल रही है। मौके पर नहर का नर्माण कार्य पूर्ण किया हुआ है एवं नहर में पानी चल रहा है। नहर के पास से रास्ता मौके पर मौजूद है तथा उससे रास्ता वर्तमान में चल रहा है नहर की वितरिका के पास में काश्तकारों के खेतों में आने जाने का रास्ता नर्मदा नहर के पास में मौके पर छोड़ा हुआ है। अप्रार्थी के खेत में से प्रार्थी के रास्ता न तो कभी था और न ही वर्तमान में मौजूद है। प्रार्थी के खेत के सेढे रास्ता होने के बावजूद भी प्रार्थी ने अपना खेत हरियाली सरहद में बताकर रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र जो पेश किया है, वो तथ्यों से परे है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से काबिल खारिजी के है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 1308 में से खसरा नम्बर 1311 चूनीदेवी के खेत में होते हुए खसरा नम्बर 1312 जवानसिंह वगैरा के खेत में होकर आगे खसरा नम्बर 139 खेडी वगैरा के खेत में से पगडंडी से आवागमन करते थे खसरा नम्बर 1311 खेत प्रार्थी ने अपनी पत्नी चून्नी के नाम से बाद में खरीद किया है। जब से नर्मदा नहर बनी है तब से आदिनांक तक प्रार्थी का आवागमन नर्मदा नहर के पास बने रास्ते से हो रहा है। ऐसी सूरत में विधि सुस्थापित सिद्वान्तों के विपरीत नाहक रूप से किसी भी काश्तकार के खेत में रास्ता दिया जाना अनुचित है अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे। अप्रार्थी अपने जवाब के साथ जमाबंदी संवत 2070–2073 खाता संख्या 486 मौजा हरियाली, खाता संख्या 217 मौजा हरियाली, खाता संख्या 168 मौजा हरियाली, खाता संख्या 142 मौजा हरियाली, जमाबंदी संवत 2069–2072 खाता संख्या 77 मौजा भड़कुआ जमाबंदी, नक्शा ट्रेस किश्तवार, नक्शा नर्मदा नहर परियोजना सांचोर, जमाबंदी 2069–2072 ग्राम भड़कुआ खाता संख्या 42 पेश किये।

दिनांक 27.02.2017 को तहसीलदार से प्रथम मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी ने ग्राम भड़कुआ के खसरा नम्बर 138 रकबा 3.24 हैक्टर बाबूराम पुत्र रामचन्द्र के नाम से खातेदारी है खसरा 1308 ग्राम हरियाली में आया हुआ है खसरा 1308 से नर्मदा नहर परियोजना की जाखल सब माईनर लगती है यह नहर बहुत गहराई में होने से रास्ता नीचे रहता है। नहर के रास्ते से साधन लाना मुश्किल है खसरा नम्बर 35,36,37 प्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं निवास है जिसके लिए लम्बी दूरी तय करके नहर से आना पड़ता है जबकि नहर बहुत गहराई में आई हुई है प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का निर्माण व अवरोध नही है इस नहर के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है मांगा गया रास्ता सुविधाजनक है।

अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर मौका रिपोर्ट पर आपत्ति की एवं दिनांक 11.12.2017 को पुनः मौका रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिये गये जिसकी पालना में दिनांक 03.01.2018 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट प्रार्थी–अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अभिभाषक की

Scanned by CamScanner

उपस्थिति में तैयार की गई। मुताबिक मौका जांच रिपोर्ट प्रार्थी एवं अप्रार्थी रिश्ते में भतीजा एवं चाचा है। प्रार्थी के ग्राम भडकुंआ के खसरा नम्बर 35,36,37 में रहवास व ढाणी है। तथा खसरा नम्बर 1308 जो कि प्रार्थी की खातेदारी का है ग्राम हरियाली में आया हुआ है। इस खेत तक पहुंचने हेतु अप्रार्थी बाबूराम वगैरा के खेत में होकर पिछले 30–40 सालों से आवागमन करते थे। पिछले कुछ समय से विवाद होने से रास्ता बन्द कर दिया है। प्रार्थी के खेत के एकतरफा नहर आई हुई है। परन्तु नहर भूतल से अत्यन्त गहरी होने व नहर के किनारे धोरा बन जाने से उस तरफ से कोई व्हीकल ट्रेक्टर इत्यादि लाना संभव नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी हरिराम के अपने खेत खसरा नम्बर 1308 में आने जाने के लिए निकटतम एवं एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 138 में से नक्शे में लाल स्याही से बताये स्थान अनुसार ही है।

प्रार्थी द्वारा 3.11.2019 को अर्जेन्ट सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ते हेतु आवेदित स्थान पर किये जा रहे अवैध निर्माण को रूकवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उभयपक्षकारों को सुनकर दिनांक 15.11.2019 को अप्रार्थी को आवेदित भूमि का मूलस्वरूप परिवर्तित न करने हेतु पाबन्द किया गया।

अप्रार्थी द्वारा पुनः मौका देखने का प्रार्थना पत्र 15.11.2019 को पेश किया। प्रार्थना पत्र को दिनांक 04.12.2019 को दो बार पूर्ण से मौका देख लेने एवं प्रार्थना पत्र के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब कारित होने से खारिज किया गया।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षकारान सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान दोनों पक्षों में प्रार्थना पत्रों में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा संख्या 1308 ग्राम हरियाली पटवार हल्का हरियाली के लिए खसरा संख्या 138 ग्राम भड़कुआ पटवार क्षेत्र हरियाली से होकर 4 मीटर चौड़े रास्ते का आवेदन किया गया है।

प्रार्थी के अनुसार सड़क तक प्रार्थी की पहुंच के लिए यही निकटतम, सुविधाजनक एवं उपयोग करने योग्य रास्ता है। नर्मदा नहर के किनारे का रास्ता उपयोग करने योग्य एवं सुविधाजनक नही है।

अप्रार्थी के अनुसार प्रार्थी को खसरा नम्बर 1308 तक पहुचने के लिए वैकल्पिक रास्ता नर्मदा नही की जाखल वितरिका के पास से उपलब्ध है, प्रार्थी द्वारा जिस खसरे के लिए रास्ता चाहा है वह मौजा हरियाली में है न कि भड़कुआ में अतः गलत तथ्य पेश किये है, प्रमाण पत्र सरपंच के अनुसार नहर के किनारे से रास्ता चल रहा है।

रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी को रास्ते तक पहुंने के लिए आवेदित भूमि खसरा संख्या 138 से रास्ता दिया जाना उचित है क्योकि यह उसके अन्य खसरा नम्बर जिनमें प्रार्थी की ढाणी भी बनी हुई है। खसरा संख्या 35,36,37 व सड़क तक पहुंचने के लिए यह सबसे निकटतम व उपयोगी नही होने एवं कृषि कार्य हेतु उपकरण लाने में उपयोगी नही होने से वैकल्पिक रास्ता नही माना जा सकता।

Scanned by CamScanner

सरपंच के प्रमाण पत्र दोनो पक्षकारों द्वारा पेश किये गये है। जिसमें प्रमाण पत्र 15.01.2018 के अनुसार खसरा नम्बर 1308 के सेढे नर्मदा नहर चल रही है उक्त नहर के दोनो ओर रास्ता चल रहा है खसरा नम्बर 1308 के लगते सभी खेतों केलिए नहर का रास्ता उपयोग में लिया जा रहा है। प्रमाण पत्र 16.07.2018 के अनुसार खेत खसरा संख्या 1308 हरिराम पुत्र जोधाराम कौम विश्नोई निवासी भड़कुआ के खातेदारीशुदा कब्जाशुदा का है। उक्त खेत में प्रार्थी की ढाणी बनी हुई है। इस खेत में आने जाने के लिए नजदीक व सुविधाजनक का रास्ता खसरा नम्बर 138 ग्राम भड़कुआ में से मौजूद है इसके अलावा हरिराम के आने जाने का निकटतम रूट का कोई सुविधाजनक रास्ता नही है यही एक मात्र रास्ता है। उक्त रास्ता मौके पर मौजूद है लेकिन अप्रार्थी खातेदार बाबूराम इस रास्ते से प्रार्थी को चलने नही देता है।

अप्रार्थी द्वारा रास्ता खसरा संख्या 138 से न दिये जाने के लिए जो तर्क दिया है उसमें एक जिस भूमि के लिए रास्ता चाहा गया है वो ग्राम हरियाली में है और जिस भूमि से रास्ता चाहा गया है वो ग्राम भड़कुआ में है तथा आवेदित रास्ते के अलावा नर्मदा नहर की वितरिका जाखल माईनर से पूर्व से रास्ता उपलब्ध होना मुख्य है।

प्रथम भूमि अलग–अलग ग्राम में स्थित होने से रास्ते की आवश्यकता एवं उपयोगिता तथा निकटतम स्थान से रास्ता दिये जाने के निर्धारण पर कोई विपरीतता नही दिखाई देती है रास्ता नजदीकी एवं सुविधाजनक होने पर दिया जा सकता है।

द्वितीय प्रार्थी ने जिस खसरा नम्बर 1308 के लिए खसरा नम्बर 138 से होकर रास्ता चार मीटर चौड़ा चाहा है। उसके लिए वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता नर्मदा नहर की वितरिका के किनारे उपलब्ध है। अतः रास्ता नही दिया जा सकता। राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 251 क में नया रास्ता दिया जाने से पूर्व संक्षिप्त जांच द्वारा यह निर्धारित किया जाना है कि क्या

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नही है।
2 अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है।

प्रकरण मे जिस उपलब्ध वैकल्पिक रास्ते की बात कही गई है। रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 11.12.2017 व 03.01.2018 के अनुसार नहर के अधिक गहरे होने एवं प्रार्थी के खेत तथा नहर के बीच में एक बड़ा धोरा आने के कारण उपयोगी नही है और प्रार्थी पूर्व में खसरा संख्या 138 से होकर ही आवागमन कर रहा है। प्रार्थी द्वारा जिस खसरे से सड़क तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहा गया है वहां सड़क के दूसरी तरफ उसके खेत खसरा संख्या 35,36 व 37 स्थित है जिसमें उसकी ढाणी भी बनी हुई है।

किसी काश्तकार द्वारा जब रास्ते के लिए आवेदन किया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य अपने खेत तक न केवल स्वयं की पहुँच को ध्यान में रखकर आवेदन किया जाता

Scanned by CamScanner

है। साथ ही साथ कृषि कार्य हेतु आवश्यक उपकरणों की पहुंच भी ध्यान में रखी जाती है। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि प्रार्थी लम्बी दूरी तय करके स्वयं तो खेत खसरा संख्या 1308 तक पहंच पा रहा है। परन्तु कृषि कार्य हेतु आवश्यक उपकरण खेत तक नही ले जा पा रहा है। रास्ता कृषि कार्य हेतु आत्यंतिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर दिया जाता है यदि प्रकरण में प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु रास्ते की अत्यंतिक आवश्यकता प्रस्तुत दस्तावेजों से सिद्व है। रास्ते की चौड़ाई को लेकर अप्रार्थी ने कोई उज्र नही किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 1308 से खसरा संख्या 138 से होकर 4 मीटर चौड़ा रास्ता परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार दिये जाने के आदेश दिये जाते है।

रास्ता जो दिया जाना है का विवरण इस प्रकार है

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि बीघा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	138	3.24 हैक्टर	जा.दो. चाही दो.	4 मीटर चौड़ा	तहसीलदार रिपोर्ट से तय होना है।	भड़कुंआ	बाबूराम पुत्र रामचन्द्र कौम विश्नोई साकिन देय खातेदार रहन एस.बी. बी. जे शाखा सांचोर

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (इ) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सांचोर से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल रंग से दर्शाया गया 4 मीटर चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 11.12.2017 निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

अप्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि खसरा संख्या 138 पर बौरवेल की खुदाई का काम चालू करवाया गया जिससे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा बिना उचित अनुमति के बौरवेल खुदाई करवाने पर रोका गया। दिनांक 14.11.2019 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि अप्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 138 रकबा 3.24 हैक्टर में से 0.06 हैक्टर से 4 मीटर चौड़े रास्ते

Scanned by CamScanner

की मांग की गयी है। परन्तु आवेदित स्थान पर अप्रार्थी प्रार्थी को न्याय से वंचित करने की नियत से स्थाई पक्का निर्माण कर रहा है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी के द्वारा मौके के छाया चित्र पेश किये। प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए दिनांक 15.11.2019 को अप्रार्थी को मूल प्रार्थना पत्र धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के निस्तारण तक आवेदित भूमि का मूल स्वरूप परिर्वतन न करने हेतु पाबन्द किया। इससे स्पष्ट है कि आवेदित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा जानबुज कर बौरवेल निर्माण पक्का निर्माण के दौरान विचाराधीन प्रार्थना पत्र किया अतः दौरान विचाराधीन प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को न्याय से वंचित करने की नियत से किया गया निर्माण कार्य के लिए मुआवजा देय नही होगा। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार आवेदित रास्ते में अन्य कोई आस्तियां अवस्थित होतो क्षतिपूर्ति देय होगी। प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरा में से प्रस्तावित किया गया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार रास्ते हेतु आवेदित भूमि एवं रास्ते हेतु स्वीकार की गयी भूमि का पुनः मौका सर्वे कर रास्ते में आने वाली आस्थियों (नवनिर्मित औरड़ी व बौरवेल के अतिरिक्त) का नियमानुसार मूल्य निर्धारण कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश करेगा।
2. परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार 4 मीटर चौड़ा रास्ता स्वीकार किया गया है। अतः तहसीलदार मौके का सर्वे कर रास्ते में आने वाली भूमि का रकबा तय करेगें उसके अनुसार निर्णय दिनांक 24.12.2019 को प्रचलित (लागू) डी.एल.सी. दरो के दो गुना मुआवजा राशि का निर्धारण कर 7 दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत करेगें। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि अलग–अलग गणना की जायेगी।
3. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थी) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जायेगा जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
4. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थी (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थी को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता है तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। क्षतिपूर्ति

Scanned by CamScanner

राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थी को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

5. नए प्रस्तावित 4 मीटर चौड़े रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "**रास्ता**" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
6. प्रार्थी को उक्त 4 मीटर चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
7. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया तथा 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिए जाने का आदेश आज दिनांक 24.12.2019 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सांचोर को लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर जिला जालोर सत्यमेव जयते

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सांचोर

सहायक कलेक्टर, सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2019.12.31 11:29:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: